आईपी
वीआईपी

ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति

ईएसआई योजना के अंतर्गत मिलने वाले हितलाभ

क्र.सं.	हितलाभ	अवधि तथा हितलाभों की दरें
1.	बीमारी हितलाभ (क) बीमारी हितलाभ	लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिन तक औसत दैनिक मजदूरी का 70% एक वर्ष में 91 दिन के लिए।
	(ख) वर्धित बीमारी हितलाभ	नसबन्दी के लिए 7 दिन तथा नलीबन्दी के लिए 14 दिन, चिकित्सीय सलाह पर बढ़ाया जा सकता है। भुगतान की दर औसत दैनिक मजदूरी का 100%।
	(ख) विस्तारित बीमारी हितलाभ	124 दिन जिसे दो वर्ष की बीमायोग्य रोजगार के दौरान चिकित्सीय सलाह पर 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। **दरः** औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 80%।
2.	अपंगता हितलाभ (क) अस्थायी अपंगता हितलाभ	अस्थायी अपंगता रहने तक। **दरः** औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90%।
	(ख) स्थायी अपंगता हितलाभ	जीवनपर्यन्त। **दरः** कामगार की अर्जन क्षमता की हानि पर निर्भर– औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90%।
3.	आश्रितजन हितलाभ	विधवा को जीवनपर्यन्त या पुनर्विवाह तक। आश्रित बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक। आश्रित माता–पिता को जीवनपर्यन्त। **दरः** औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90% जो कि निर्धारित अनुपात में विभक्त किया जाएगा।
4.	प्रसूति हितलाभ	सामान्य प्रसव के लिए 26 सप्ताह तक, गर्भपात के लिए 6 सप्ताह तक, चिकित्सीय सलाह पर 4 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। **दरः** लगभग 100% औसत दैनिक मजदूरी के बराबर।
5.	चिकित्सा हितलाभ	बीमारी की अवस्था में सम्पूर्ण परिवार की पूर्ण चिकित्सा देखरेख। खर्च की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जो कि ईएसआईसी पैनल अस्पताल के जरिए मुहैया कराती है। वे सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्ति जो अधिवर्षिता की आयु पूरी करने से पहले कम से कम पाँच वर्ष के लिए बीमायोग्य नियोजन में रहे हो अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अन्तर्गत अथवा समयपूर्व सेवानिवृत्त तथा अपंग बीमाकृत व्यक्ति अपने तथा अपने विवाहिती के लिए केवल रु. 120/– वार्षिक अंशदान देने पर चिकित्सा देखरेख का हकदार है।

आईपी
वीआईपी

ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति

क्र.सं.	हितलाभ	अवधि तथा हितलाभों की दरें
6.	अन्य हितलाभ (क) प्रसव व्यय	केवल दो प्रसव के लिए। **दरः** रु. 5000/– प्रति मामला।
	(ख) अंत्येष्टि व्यय	बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर हुआ व्यय। **दरः** रु. 15,000/– से अनाधिक तक वास्तविक व्यय।
	(ग) व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता	जब तक व्यावसायिक प्रशिक्षण समाप्त न हो। **दरः** वास्तविक लिया गया शुल्क या रु. 123/– प्रतिदिन जो भी अधिक हो।
	(घ) शारीरिक पुनर्वास	जब तक व्यक्ति कृत्रिम अंग केन्द्र में दाखिल रहता है। **दरः** औसत दैनिक मजदूरी का 100%।
	(ङ) बेरोजगारी भत्ता (राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना)	जीवन काल के दौरान अधिकतम 24 माह। **दरः** प्रथम 12 माह औसत मजदूरी का 50% एवं अगले 12 माह औसत मजदूरी का 25%।
	(च) राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	अल्पावधि हेतु– अधिकतम 6 माह तक।
	(छ) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	बेरोजगारी एवं नई नौकरी की खोज की स्थिति में बीमित व्यक्तियों के बैंक खातों में सीधा भुगतान। **दरः** औसत दैनिक मजदूरी का 25% एवं अधिकतम 3 माह तक।
	(ज) आई पी वार्ड	बीमित व्यक्तियों के बच्चों को एमबीबीएस/बीडीएस में भर्ती में उपलब्ध कोटा प्रदान करता है जिसे मेरिट के आधार पर प्रदान की जाती है।
7.	निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन के लिए नियोक्ताओं की प्रोत्साहन योजना	रु. 25,000/– तक मासिक मजदूरी का आहरण करने वाले विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए अंशदान में नियोक्ता का भाग 3 वर्ष तक सरकार द्वारा अदा किया जाता है।

• *अधिक जानकारी के लिए निकटतम कार्यालय से संपर्क करें।*

उप क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

बी–64, सेक्टर–57, नोएडा (उत्तर प्रदेश)

Website : www.esic.nic.in / www.esic.in